सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 43
13/01/2026

मंत्रिपरिषद् के निर्णय

पटना–13 जनवरी, 2026 ::– आज सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में 41 (एकतालीस) एजेंडों पर निर्णय लिया गया। इस सन्दर्भ में मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव, श्री अरविन्द कुमार चौधरी ने सूचना भवन के प्रथम तल स्थित **सभा कक्ष** में प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं० लि० के क्षेत्राधीन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर (आई०एम०सी०) गयाजी परियोजना के लिए निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति हेतु 220 के०वी० डी०सी० संचरण लाईन (400/220/132 के०वी० चंदौती (पी०एम०टी०एल०) ग्रीड–उपकेन्द्र से आई०एम०सी०, गयाजी तक) के निर्माण हेतु 33.29 करोड़ (तैतीस करोड़ उनतीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गयी।

कृषि विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में भिन्न–भिन्न पदनामों से स्वीकृत 293 पदों का समर्पण /प्रत्यर्पण करते हुए बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि–05 (पौधा संरक्षण) संवर्ग अन्तर्गत पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक 194 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के 99 पद कुल 293 अतिरिक्त पदों का सृजन कर पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के कुल 534 पद एवं पौधा संरक्षण निरीक्षक के कुल 160 पद अर्थात् कुल 694 पदों के पुनर्गठन/सृजन की स्वीकृति दी गयी।

जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दिनांक–10 जुलाई, 2025 को राँची में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक मे बाणसागर समझौते के अंतर्गत अविभाजित बिहार के हिस्से के 7.75 मिलियन एकड़ फीट (MAF) जल में से 5. 75 MAF जल बिहार को एवं 2.00 MAF जल झारखण्ड को आवंटित किए जाने एवं केंद्रीय जल आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गयी।

जल संसाधन विभाग के ही तहत विभागीय परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु वन एवं पर्यावरण संबंधी विषयों के समाधान के लिए भारतीय वन सेवा/बिहार वन सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा संविदा के आधार पर प्राप्त करने निमित्त वन एवं पर्यावरण सलाहकार (वेतन स्तर–14/13) के 01 (एक) गैर संवर्गीय पद का आदेश निर्गत की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए अस्थायी रूप से सृजन करने की स्वीकृति दी गयी।

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशलय) के अन्तर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या–17975, दिनांक–22.09.2023 द्वारा अधिसूचित बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2023 के

आधार पर डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग (मत्स्य निदेशालय) के नियंत्रणाधीन कार्यालय परिचारी संवर्ग में स्वीकृत कुल 200 पदों का कार्यालयवार चिन्हितीकरण एवं पुनर्गठन की स्वीकृति दी गयी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक–09.12.2025 को मद संख्या–13 की स्वीकृति के पश्चात् बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली, 2025 से संबंधित संशोधित अधिसूचना संख्या– 1569, दिनांक–10.12.2025 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गयी।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग (निबंधन) के अन्तर्गत आनन्द विवाह अधिनियम, 1909 (यथा संशोधित 2012) के अन्तर्गत बिहार राज्य में आनन्द कारज रीति से सम्पन्न विवाह के निबंधन हेतु ''बिहार आनन्द कारज विवाह निबंधन नियमावली, 2025'' की स्वीकृति दी गयी।

परिवहन विभाग के अन्तर्गत संवाहक अनुज्ञप्ति (Conductor License) के निर्गमन हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता ''माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में उत्तीर्ण (दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण)'' के स्थान पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ''आठवीं कक्षा में उत्तीर्ण'' निर्धारित किये जाने हेतु बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 के नियम–30 के उपनियम–1(iv) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन, मुम्बई के निर्माण कार्य हेतु ₹314,20,59,000.00 (तीन सौ चौदह करोड़ बीस लाख उनसठ हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत जन शिक्षा निदेशालय के स्तर से संचालित योजनाओं के बेहतर प्रबंधन एवं ससमय कार्य के निष्पादन के लिए पूर्व से सृजित पदों में से कतिपय मरणशील कुल–08 पदों को समर्पित (सरेंडर) करने एवं कतिपय पदों के पदनाम में संशोधन के साथ आवश्यक कुल–09 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत खरीफ विपणन मौसम 2025–26 एवं रबी विपणन मौसम 2026–27 में अधिप्राप्ति कार्य हेतु बिहार राज्य सहकारी बैंक को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/नाबार्ड/अन्य वित्तीय संस्थानों से 7000 (सात हजार) करोड़ रूपये ऋण प्राप्त करने एवं एतद्र्थ उक्त ऋण के अनुवर्ती उपयोगकर्ता जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को दिये गये ऋण, पुनः जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थानों को दिए गए ऋण पर राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी।

सिविल विमानन विभाग के अन्तर्गत दरभंगा हवाई अड्डा के पास लॉजिस्टिक पार्क एवं कार्गो हब निर्माणार्थ चिन्हित 50.0004 एकड़ भूमि अधिग्रहण किये जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि ₹1,38,82,88,000/– (एक सौ अड़तीस करोड़ बेरासी लाख अठासी हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

विधि विभाग के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय, पटना के लिए कोर्ट मैनेजर के वेतनमान लेवल–13 से लेवल–9 तथा राज्य के व्यवहार न्यायालयों के लिए कोर्ट मैनेजर

के वेतनमान 27,700– 770–33,090 (वर्त्तमान में 77,840–1,36,520) से लेवल–8 में संपरिवर्तन करने की स्वीकृति दी गयी।

विधि विभाग के ही तहत बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को सहायता दिये जाने के लिए बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 30,00,00,000/–(तीस करोड़) रूपये के अग्रिम की स्वीकृति दी गयी।

विधि विभाग के ही तहत माननीय उच्च न्यायालय, पटना की स्थापना में मानदेय एवं संविदा के आधार पर 04 (चार) विधि सहायक के पद का सृजन एवं पूर्व से सृजित 45 विधि लिपिकों का पदनाम 'विधि सहायक' करने की स्वीकृति दी गयी।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–483 दिनांक–03.02.2023 में विभागाध्यक्ष एवं व्याख्याता का स्वीकृत पदनाम अन्तर्गत ''कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग टेक्नोलॉजी'' के स्थान पर ''कम्प्यूटर एडेड कस्ट्यूम डिजाइन एण्ड ड्रेस मेकिंग'' किये जाने हेतु उक्त निर्गत स्वीकृत्यादेश में संशोधन करने की स्वीकृति दी गयी।

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन नवस्वीकृत राजकीय पोलिटेकनिक, बगहा (पश्चिम चम्पारण) के लिए कुल–45 (पैंतालीस) शैक्षणिक पद (प्राचार्य–01, विभागाध्यक्ष–05 एवं व्याख्याता–39) तथा कुल–61 (इकसठ) गैर शैक्षणिक पद (तकनीकी–40 एवं गैर तकनीकी–21) अर्थात् कुल–106 (एक सौ छः) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।

गृह विभाग (कारा) के अन्तर्गत राज्य की 53 काराओं में नये सिरे से 9,073 अदद् सी०सी०टी०वी० कैमरा के अधिष्ठापन हेतु सी०सी०टी०वी० कैमरा, सॉफ्टवेयर, फील्ड आधारभूत संरचना, फाइबर नेटवर्क, कारा स्तर पर अनुश्रवण प्रणाली पर व्यय, मानव बल, कन्सलटेंसी व्यय एवं आकस्मिक व्यय (CCTV Cameras, Software, Field Infrastructure, Fiber Network, Local Monitoring Cost at Jail end, Manpower Cost, Consultancy Cost, Contigency) एवं 08 काराओं में पूर्व से अधिष्ठापित सी०सी०टी०वी० कैमरों के एकीकरण (Integration) संबंधी कार्य के लिए बेल्ट्रॉन मार्जिन सहित कुल राशि रू० 155,38,36,153/–(एक सौ पचपन करोड़ अड़तीस लाख छत्तीस हजार एक सौ तिरपन रूपये) मात्र की अनुमानित लागत पर स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लक्षित सात निश्चय–3 (2025–2030) तथा अन्य कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का दायित्व बिहार विकास मिशन को सौंपने की स्वीकृति दी गयी।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत राजवंशीनगर एवं शास्त्रीनगर, पटना को आवासीय एवं गैर–आवासीय रूप में पुनर्विकास हेतु मास्टर प्लान निर्माण हेतु चयनित परामर्शी के शुल्क ₹1,59,30,000/–(एक करोड़ उनसठ लाख तीस हजार रूपये मात्र, जी०एस०टी० सहित) भुगतान की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत श्री जटाशंकर पाण्डेय (अ०क०से०) कोटि क्रमांक–156 / 2013 तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, सिवान बर्खास्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जमुई की सेवा पुनरीक्षण आवेदन संख्या–01 / 2025 दिनांक –24.07.2025 द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को खारिज करते हुए सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी, का अधिरोपित दण्ड पूर्ववत् बरकरार रखने की स्वीकृति दी गयी।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत मेसर्स प्रिंस पाईप्स एण्ड फीटिंग्स लि०, प्लॉट नं०–J1 जव J13, NS KP–II, औद्योगिक विकास केन्द्र, बेगूसराय को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी।

उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स लॉजीपार्क पटना प्राईवेट लिमिटेड, जिला–वैशाली को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी।

उद्योग विभाग के ही तहत मेसर्स रोहतास सीमेंट (ए यूनिट ऑफ डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड), बंजारी, रोहतास को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गयी।

नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹107,27,89,000 / –(एक सौ सात करोड़ सताईस लाख नबासी हजार रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गयी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिचारिका श्रेणी 'ए' (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गयी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना भेषजज्ञ (फर्मासिस्ट) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गयी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के ही तहत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना परिधापक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गयी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के ही तहत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ऑक्जीलियरी नर्स मिडवाईफ) (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गयी।

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग के ही तहत बिहार कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रयोगशाला शिल्पिक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गयी।

ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत आर०डी०एस०एस० योजना अन्तर्गत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं०लि० के क्षेत्राधीन पटना शहर (पेसू) के कुल 13 प्रमण्डलों के विरूद्ध 09 प्रमंडलों में भूमिगत केबलिंग एवं स्काडा–डी०एम०एस० के कार्यों हेतु आर०ई०सी० लि० द्वारा अनुशंसित 576.74 करोड़ (पाँच सौ छिहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख) रूपये में 60:40 वित्तीय पोषण के तहत 60 प्रतिशत राशि अर्थात 346.04 करोड़ (तीन सौ छियालीस करोड़ चार लाख) रूपये केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप एवं शेष राशि 230.70 करोड़ (दो सौ तीस करोड़ सत्तर लाख) रूपये राज्य सरकार द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को हिस्सा पूँजी के रूप में इक्विटी स्वरूप उपलब्ध कराने एवं इसके अतिरिक्त पेसू के शेष 04 प्रमंडलों यथा–दानापुर, खगौल, गुलजारबाग एवं कंकड़बाग–2 में भी स्काडा–डी०एम०एस० के क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त 76.26 करोड़ (छिहत्तर करोड़ छब्बीस लाख) रूपये राज्य योजना से स्वीकृति अर्थात कुल 653.00 करोड़ (छः सौ तिरेपन करोड़) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति दी गयी।

शिक्षा विभाग के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित पी०एम०श्री योजना के तहत राज्य के लिए चयनित कुल 789 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए उपबंधित राशि कुल ₹14,85,85,00,000/–(चौदह अरब पचासी करोड़ पचासी लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बिहार विधानमंडल के वरिष्ठ माननीय सदस्यगण (जो मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं है) को विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास के अलावा पटना केन्द्रीय पूल से कुल–15 आवासों को मानक किराया पर अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त्त आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी।

भवन निर्माण विभाग के ही तहत राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, बिहार विधान परिषद् के माननीय सभापति/उप सभापति एवं विधान सभा के माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को पटना केन्द्रीय पूल से आवंटित आवास के अलावा विधानमंडल पूल में निर्वाचन क्षेत्रवार कर्णांकित आवास को अतिरिक्त आवास के रूप में सशर्त्त आवंटित करने की स्वीकृति दी गयी।

भवन निर्माण विभाग के ही तहत श्री अनिल कुमार, मुख्य वास्तुविद् (संविदा), भवन निर्माण विभाग, पटना के दिनांक–01.01.2026 को संविदा समाप्ति के उपरान्त संविदा के आधार पर मुख्य वास्तुविद् के पद पर अगले 02 वर्ष अथवा उक्त पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) की स्वीकृति दी गयी।

पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत मझारी चौक (एन०एच०–27) से कनौली बाजार (नेपाल बॉर्डर) भाया डगमरा पथ के चैनेज 0+000 से 25+353 (कुल लंबाई–25.353 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹12623.994 लाख (रूपये एक सौ छब्बीस करोड़ तेइस लाख निन्यानवें हजार चार सौ) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत पथ प्रमंडल सुपौल अंतर्गत थरबिटीया रेलवे स्टेशन से गणपतगंज भाया सिंगआवन, श्रीपुर पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण कार्य हेतु कुल राशि ₹6144.40 लाख (रूपये एकसठ करोड़ चौवालिस लाख चालीस हजार) मात्र की अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

पथ निर्माण विभाग के ही तहत पटना रिंग रोड निर्माण अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–131G के कन्हौली–शेरपुर (0.00 कि०मी० से 8.48 कि०मी०) पथांश के बीच 6–लेन पथ निर्माण के साथ बिहटा–दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के जंक्शन डेवलपमेंट (कुल अनुमानित लम्बाई–1.5 कि०मी०) कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मार्गरेखन पर अवस्थित 11 राजस्व ग्रामों में प्रभावित रैयती भूमि का कुल अर्जनाधीन रकवा–185.2634874 एकड़ भूमि का भू–अर्जन हेतु कुल अनुमानित व्यय राशि ₹28400.00 लाख (दो सौ चौरासी करोड़) मात्र की 50 प्रतिशत राज्यांश राशि के रूप में ₹14200.00 लाख (एक सौ बयालीस करोड़) मात्र रूपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।

खान एवं भूतत्व विभाग के अन्तर्गत पटना जिलान्तर्गत कुल 07 बालूघाट यथा पटना गंगा–2A, पटना गंगा–2B, पटना गंगा–2C, पटना गंगा–2D, पटना गंगा–2E, पटना गंगा–3A तथा पटना गंगा–3B एवं वैशाली जिलान्तर्गत 02 बालूघाट यथा वैशाली गंगा–6E एवं वैशाली गंगा–6F का आवंटन कतिपय शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृति दी गयी।

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना को आवंटित कार्यों के संपादन हेतु युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना के सचिवालय के 15 नये प्रशाखाओं के लिए विभिन्न कोटि के कुल 147 (एक सौ सैंतालीस) पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।

उद्योग विभाग के अन्तर्गत चनपटिया स्टार्ट अप जोन परिसर के टेक्सटाईल/वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाईयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन (वस्त्र एवं चर्म) नीति, 2022 के तहत आच्छादित किये जाने एवं तदनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी उद्योग विभाग के निर्गत संकल्प ज्ञापांक–161 दिनांक–10.01.2025 की कंडिका–4 (ii) में संशोधन की स्वीकृति दी गयी।

****